

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-15/2016/सत्ताईस-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2016

उपाध्यक्ष,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- हरसूद उद्वहन सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति ।
संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 109/54.05/27/न0नि0म0/16, दिनांक 24.09.2016.

--00--

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 54 वीं बैठक दिनांक 23.09.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा हरसूद उद्वहन सिंचाई योजना हेतु राशि ₹ 113.41 करोड़ (₹ एक सौ तेरह करोड़ इकतालीस लाख) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

2/- उक्त व्यय मांग संख्या 48/4700 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(लक्ष्मीकान्त दिववेदी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

पृ0क्रमांक एफ 31-15/2016/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
4. सदस्य (अभियांत्रिकी)/(वित्त) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
6. महालेखाकार भोपाल/ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
7. सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
8. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद ।
9. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित ।
10. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
11. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग